हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 29 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–129/2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना।
2. परिभाषाएं।
3. लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन का प्रतिषेध।
4. लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन करने के लिए दण्ड।
5. क्षति या प्रतिकर के लिए दावे का न होना।
6. अधिकार अभिलेख तैयार करना।
7. अधिकारिता का वर्जन।
8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
10. नियम बनाने की शक्ति।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक उपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोक अधिकारों तथा उसके उपयोग के अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि पर दावा करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रतिषेध करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) यह उन लोक उपयोगिताओं के संबंध में लागू होगा जो नियत दिवस को दस वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हों।

2. **परिभाषाएं.––**इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''कलक्टर'' से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कार्यों के निर्वहन हेतु विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ख) ''आयुक्त'' से राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कार्य के निर्वहन हेतु विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ग) ''वित्त आयुक्त'' से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधिन वित्त आयुक्त के कार्यों के निर्वहन हेतु विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी है;

(घ) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अभिप्रेत है; और

(छ) ''लोक उपयोगिता'' में सड़क, रास्ता, नहर, नाली, तटबंध, जल/सिंचाई चैनल, जन स्वास्थ्य संकर्म, लोक संस्थान, भवन तथा सरकार द्वारा निर्मित कोई अन्य सुविधा या संरचना सम्मिलित है जो चाहे राज्य सरकार द्वारा प्रभारों के भुगतान पर या अन्यथा से जनसाधारण द्वारा या जनसाधारण के लाभ के लिए उपयोग की जाती है या की गई है जो किसी वैयक्तिक, कम्पनी, सोसायटी, भागीदारी फर्म, न्यास आदि की किसी भूमि पर विद्यमान हो; और

3. **लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन का प्रतिषेध.––**(1) किसी विधि, लिखित, प्रथा, रिवाज, डिक्री या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसायटी, भागीदारी फर्म, न्यास आदि सहित कोई भी व्यक्ति लोकहित या उपयोग, जो जनसाधारण लाभ के लिए लोक उपयोग में या अस्तित्व में हैं या थे, के अहित के लिए किसी निजी व्यक्ति, वैयक्तिक कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि की किसी भी भूमि पर किसी लोक उपयोगिता में विघ्न नहीं डालेगा, परिवर्तन नहीं करेगा या नष्ट नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई व्यक्ति, लोकाधिकार तथा लाभ के अपवर्जन हेतु ऐसी लोक उपयोगिता का दावा करने का हकदार होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक उपयोगिता में विघ्न डालता है, परिवर्तन करता है, नष्ट करता है या बाधा डालता है तो कलक्टर या तो स्वप्ररेणा से या लोक उपयोगिता में ऐसी दखलअंदाजी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी लोक उपयोगिता को उसकी मूल

अवस्था में जोर्णोद्धार के निर्देश दे सकेगा तथा ऐसे जोर्णोद्धार के सम्बन्ध में उपगत लागत की वसूली भू–राजस्व के बकायों के रूप में ऐसे व्यक्ति से कर सकेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील दायर कर सकेगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से, तीस दिन के भीतर वित्तायुक्त को पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकेगा।

(5) वित्तायुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

4. लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन करने के लिए दण्ड.––जो कोई भी धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह छः मास तक की अवधि के करावास या जुर्माने, जो दो हजार रुपये से कम तथा दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

5. क्षति या प्रतिकर के लिए दावे का न होना.––कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रतिषेधों या निर्बन्धनों के बदले में किसी क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

6. अधिकार अभिलेख तैयार करना.––कलक्टर, समुचित खण्ड में अधिकार अभिलेख में इस प्रभाव के लोक उपयोगिता टिप्पण देते हुए ऐसी लोक उपयोगिता तथा लोक अधिकार अभिलेख दर्ज करवाएगा या तैयार करवाएगा।

7. अधिकारिता का वर्जन.––किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश नियत दिवस से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.––इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

10. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य–शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के सत्रावसान के पूर्व जिसमें यह रखा गया था, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल

ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या बातिलीकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सार्वजनिक उपयोगिताएँ जैसे सड़कें, रास्ते, नालियाँ, तटबंध, सिंचाई नहरें, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, सार्वजनिक संस्थान और भवन आदि, बहुतायत मामलों में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं के मूलतः स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित किए गए हैं। ऐसे सार्वजनिक कार्य प्रायः मौखिक करार या मौखिक दान या दीर्घकालीन सार्वजनिक उपयोग के माध्यम से और उनकी देख–रेख और विकास में स्थायी लोक निधि निवेशित की गई है। भूमि के मालिकों के उपयोग और आचरण के कारण इन भूमियों ने सार्वजनिक उपयोगिता का स्वरूप प्राप्त कर लिया है, जिससे जन साधारण के हित में अधिकार और दावे उत्पन्न हो गए हैं। भूमि मूल्यों में वृद्धि के साथ ही तथापि कतिपय व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा इन भूमियों पर विशेष अधिकार जताने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। और लोक स्त्रोतों में हानि भी हो रही है, चूँकि कुछ मामलों में ऐसे कुछ उपयोगिताओं के स्वामियों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 से पूर्व की हैं। इससे पथ–सम्पर्क में बाधा, जलापूर्ति और अन्य आवश्यक लोक सेवाओं सहित सरकार के लिए गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। इसलिए कि ऐसी भूमि को सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में सुरक्षित करने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु एक विधि अधिनियमित करना व्यापक जनहित में यह आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख 2025

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 10 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक उपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोक अधिकारों तथा उसके उपयोग के अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि पर दावा करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रतिषेध करने के लिए **विधेयक**।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः....., 2025

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title, commencement and application.
2. Definitions.
3. Prohibition of disturbing or changing public utility.
4. Punishment for disturbing or changing public utility.
5. No claim for damages or compensation.
6. Preparation of record of rights.
7. Bar of jurisdiction.
8. Power to remove difficulties.
9. Protection of action taken in good faith.
10. Power to make rules.

———————

Bill No. 17 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to prohibit disturbing or changing of public utilities and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Himachal Pradesh and for matter connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, commencement and application.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Change of Public Utilities Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

(3) It shall be applicable in respect of public utilities which are in existence for ten years or more as on the appointed day.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Collector” means the Collector of a revenue district and includes the Deputy Commissioner or any other officer specially designated by notification, by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act;

(b) “Commissioner” means the Divisional Commissioner of a revenue division and includes any other officer specially designated by notification, by the State Government to perform the functions of a Commissioner under this Act;

(c) “Financial Commissioner” means an officer appointed by the State Government and includes any other officer specially designated by notification, by the State Government to perform the functions of a Financial Commissioner under this Act;

(d) “Government" or "State Government” means the Government of Himachal Pradesh;

(e) “notificaion” mean notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(f) '"prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(g) “public utility” includes a road, path, canal, drain, embankment, water or irrigation channel, public health work, public institution, building or any other facility or structure, constructed by the Government which is used or has been used by the public or for the public benefit, whether on payment of charges or otherwise by the State Government, which exists on any land of any individual, company, society, partnership firm, trust etc.

3. Prohibition of disturbing or changing public utility.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, instrument, custom, usage, judgement, decree or order of any Court or other authority, no person including individual, company, society, partnership firm, trust etc., shall distrub, change or demolish any public utility over any land of any private person,

individual, company, society, partnership firm, trust, etc. to the detriment of the public interest or use, which are or were in public use or in existence for the benefit of public, nor any such person shall be entitled for compensation of land used for public utility or claim such public utility to the exclusion of the rights and benefits of the public.

(2) If any person disturbs, changes, demolishes or obstructs any public utility, the Collector either *suo moto* or on receiving information on such interference in the public utility may direct the restoration of such public utility to its original condition after providing an opportunity of being heard and may recover the cost incurred in respect of such restoration as arrears of land revenue from such person.

(3) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under sub-section (2), may file an appeal before the Commissioner within thirty days of the date of the order.

(4) Any person aggrieved by an order of the Commissioner under sub-section (3), may file a revision petition before the Financial Commissioner within thirty days from the date of the order.

(5) The order of the Financial Commissioner shall be final.

4. Punishment for disturbing or changing public utility.—Whoever violates the provisions of section 3, shall be liable for punishment with the imprisonment for a term upto six months or with a fine which shall not be less than two thousand rupees and more than ten thousand rupees or both.

5. No claim for damages or compensation.—No person shall be entitled to claim any damages or compensation in lieu of prohibition or restrictions contained in this Act.

6. Preparation of record of rights.—The Collector shall cause to enter or prepare record in the manner as may be prescribed of such public utility and public rights by giving a note to this effect in the record of rights in appropriate column.

7. Bar of jurisdiction.—No Civil Court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder.

8. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

9. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less then ten days which may be comprised in one session or in two more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, or decided that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be, without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Public utilities such as roads, paths, canals, drains, embankments, irrigation channels, public health works, public institutions and buildings have, in many instances, been established on lands originally owned by private individuals or entities. Such use was often permitted through oral agreements, oral gifts or long acquiescence, and substantial public funds have since been invested in their maintenance and development. By reason of long usage and conduct of the owners, these lands have acquired the character of public utility lands, thereby creating rights and interests in favour of the public. With the escalation of land values, however, attempts are being made by certain individuals or entities to reclaim such lands or assert exclusive rights over them, resulting in disruption of essential services and loss of public resources. In many cases, the origin of such utilities cannot be traced, as some of them pre-date the Punjab Reorganisation Act, 1966. This has led to serious administrative and financial difficulties for the Government, including disruption of road connectivity, water supply and other essential public services. It has thus become expedient in the larger public interest, to enact a law to safeguard such lands as public utility lands and to ensure continuity of essential public services.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
THE……2025.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 10 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2025

A

BILL

to prohibit disturbing or changing of public utilities and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Himachal Pradesh and for matter connected therewith or incidental thereto.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

THE....., 2025